

## कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-प्रारं/ बजट / बी-5 / 9719 / 2016-17 /

दिनांक 9.1.17

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी,  
पंचायत समिति -

विषय:- शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सत्र 2015-16 हेतु पुनर्भरण किस्त की प्रतिपूर्ति हेतु बजट आवंटन।

विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) में किये गये प्रावधानों की पालना में राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षण हेतु प्रवेश के उपरान्त सत्र 2015-16 में पुनर्भरण राशि का आवंटन निम्नानुसार किया जा रहा है।

**बजट मद-2202-01-800-14-00-57(आयोजना व्यय)**

क्र. स.	ऑफिस आईडी	बीईईओ कार्यालय का नाम	सत्र 2015-16 में वंचित के लिए आवंटित राशि रूपयों में
1	1715	पिपराली, सीकर	220000 ✓
2	1436	टोंक	2741780 ✓
3	1502	आबूरोड, सिरौही	13000 ✓
4	1401	रायपुर, पाली	914054 ✓
5	1703	आमेर, जयपुर	2598165 ✓
6	1634	खण्डार, स0मा0	600000 ✓
7	1636	बामनवास, स0मा0	500000 ✓
8	1637	गंगापुरसिटी, स0मा0	141051 ✓
योग			7728050 ✓

(रूपये सत्तर लाख अठाईस हजार पचास मात्र)

**बजट मद-2202-01-789-04-00-57(आयोजना व्यय)**

क्र. स.	ऑफिस आईडी	बीईईओ कार्यालय का नाम	सत्र 2015-16 में वंचित के लिए आवंटित राशि रूपयों में
1	1521	कोटा शहर, कोटा	3081915 ✓
योग			3081915

(रूपये तीस लाख इक्यासी हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र)

लगातार.....


बजट मद-2202-01-796-11-00-57(आयोजना व्यय)

क्र. स.	ऑफिस आईडी	बीईईओ कार्यालय का नाम	सत्र 2015-16 में वंचित के लिए आवंटित राशि रूपयों में
1	1448	खेरवाडा, उदयपुर	322987 ✓
2	1667	गढी, बांसवाडा	346350 ✓
योग			669337 ✓

(रूपये छः लाख उनहत्तर हजार तीन सौ सैंतीस मात्र)


आवंटित राशि का उपयोग इस कार्यालय के आर.टी.ई. अनुभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार नियमानुसार किया जावे।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत आई.एफ.एम.एस के अन्तर्गत कोषालय से प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक किये गये आय व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये।

  
- उप वित्तीय सलाहकार  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. निजी सचिव, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय।
- ✓ 4. सहायक निदेशक, आरटीई अनुभाग।
5. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान/योजना अनुभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

  
उप वित्तीय सलाहकार

# कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-5/9719/2016-17/

दिनांक 9.1.17

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

ऑफिस आई.डी. 911

विषय:-शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सत्र 2015-16 हेतु पुनर्भरण की प्रतिपूर्ति हेतु बजट आवंटन।

विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) में किये गये प्रावधानों की पालना में राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षण हेतु प्रवेश के उपरान्त सत्र 2015-16 में पुनर्भरण की राशि आवंटन हेतु विभिन्न लेखामदों में राशि का आवंटन निम्नानुसार किया जा रहा है।

क्र.स.	बजट मद	सत्र 2015-16 में वंचित के लिए : आवंटित राशि रूपयों में
1	2202-01-800-14-00-57 (आयोजना व्यय)	21,82,67,707
2	2202-01-796-11-00-57 (आयोजना व्यय)	3,11,40,517
3	2202-01-789-04-00-57 (आयोजना व्यय)	4,19,47,637
	योग	29,13,55,861

(रूपये उनतीस करोड तेरह लाख पचपन हजार आठ सौ ईकसठ मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2016-17 में उपयोग हेतु आवंटित की गई है तथा राशि का उपयोग इस कार्यालय के आर.टी.ई. अनुभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार नियमानुसार किया जावे।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत आई.एफ.एम.एस के अन्तर्गत कोषालय से प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक किये गये आय व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये।

भूवदीय,

उप वित्तीय सलाहकार  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. निजी सचिव, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय।
4. सहायक निदेशक, आर.टी.ई. अनुभाग।
5. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान/योजना अनुभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

उप वित्तीय सलाहकार